



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 जनवरी 2018—माघ 3, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2018

अधि. क्र. 03-एफ-1-15-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगरपालिक परिषद् में वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिये उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

स. क्र.	जिले का नाम	क्र.	नगर परिषद् का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	झाबुआ	1	नगरपालिक परिषद् झाबुआ.	1	श्रीमती सावित्री मेढा पति श्री संजय मेढा रातीतलाई वार्ड 11 झाबुआ.
				2	श्री भंवर सिंह पिता श्री गिरधारी सिंह गेहलोद 72 नेहरू मार्ग झाबुआ.
				3	श्रीमती इंदिरा पति श्री दिनेश परमार वार्ड 10 गोपाल कालोनी झाबुआ.
2	सतना	1	नगरपालिक परिषद् मैहर.	1	गंगा कोल पिता श्री सुंदर लाल कोल लखबार.
				2	सुशीला चौरसिया पति श्री स्मेश चौरसिया हनुमान मंदिर के पास चौरसिया मोहल्ला.
				3	श्री सुशील पांडेय पति महेशराज पांडेय टोला.
				4	श्री महेश दरियानी पिता श्री सतराम दरियानी हाउसिंग बोर्ड मेहर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.